न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 21/2016

अपीलान्ट	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट :–**
केसरसिंह पुत्र वीरसिंह जाति राजपूत, निवासी पावा, तहसील सुमेरपुर जिला पाली।		राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री मोहम्मद शरीफ काजी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 15.11.2018

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राज भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण संख्या 52/2015 में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.01.2016 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि पटवारी हल्का पावा की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा अपीलाण्ट्स के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर ग्राम पावा के खसरा नम्बर 1374 रकबा 0.80 हैक्टेयर गै0मु0 नदी की भूमि पर अपीलाण्ट का अतिक्रमण मानते हुए नोटिस जारी किया। अपीलाण्ट के नाम से नोटिस जारी किया, उक्त नोटिस न ही अपीलाण्ट का प्राप्त हुआ, एवं न प्रोपर तामिल हुई, उसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये जुर्माना आरोपित किया एवं आदेश बेदखली पारित किये, साथ ही पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए अपीलाण्ट्स को तीन माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त भूमि पर अपीलाण्ट्स का पश्चातवर्ती अतिक्रमण माना, किन्तु अपीलांट को किस प्रकरण में बेदखल किया गया यह रेकर्ड में दर्ज शुदा नहीं है। अपीलांट का वादग्रस्त आराजी पर सेटलमेंन्ट से पूर्व से कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी पर नियमन का हकदार है, एवं पटटा प्राप्ती का भी हकदार है। अपीलांट को गलत रूप से पश्चातवर्ती अतिक्रमी बताकर जैर अपील

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

आदेश पारित किया गया है जो कि विधि विरूद्ध है। तहसीलदार सुमरेपुर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपीलाण्ट्स द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को किसी प्रकार की राहत प्रदान नहीं करते हुए, जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावे एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि कर ग्राम पावा के खसरा नम्बर 1374 रकबा 0.80 हैक्टेयर गै0मु0 नदी की भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण करने के कारण अपीलाण्ट्स के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए आदेश बेदखली पारित किये गये है। चूंकि अपीलाण्ट द्वारा किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में परिलक्षित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पावा के खसरा नम्बर 1374 रकबा 0.80 हैक्टेयर गै0मु0 नदी की भूमि राजस्व रेकर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। पटवारी हल्का पावा द्वारा तहसीलदार सुमेरपुर के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि अपीलाण्ट द्वारा उपरोक्त भूमि पर कब्जा किया है, इस पर तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुए दिनांक 28.09.2015 की तारीख पेशी नियत की। उक्त आदेश की पालना में जो नोटिस जारी किया गया, वह अपीलाण्ट के चस्पा किया गया है, जिसके पश्चात तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा नियत तारीख पेशी पर अपीलाण्ट स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ है, जिसकी ताईद आदेशिका पर अपीलांट स्वंय के हस्ताक्षर से होती है। जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट को 91 से सम्बधिंत कार्यवाही का पूर्णतया ज्ञान था। अपीलाण्ट द्वारा यह कथन किया गया है कि उनका जैर अपील वादस्थ भूमि पर किसी प्रकार का पश्चातवर्ती अतिक्रमण नहीं है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न अपीलाण्ट को पूर्व में दिनांक 13.11.2014 को पारित आदेश की पालना में दिनांक 16.11.2014 को अपीलाण्ट को जैर अपील विवादित भूमि से बेदखल किया गया था। अपीलाण्ट्स द्वारा यह कथन किया गया है कि जैर अपील वादस्थ भूमि उनकी खातेदारी भूमि थी, जिसे भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा सेटलमेन्ट की कार्यवाही के दौरान नदी दर्ज की है, जो विधि विरूद्ध है। यदि अपीलाण्ट के इन तथ्यों में बल होता, तो निश्चय ही अपीलाण्ट द्वारा भू–प्रबन्ध के दौरान की गई तथाकथित त्रुटी को दुरुस्त कराने हेतु सक्षम न्यायालय में कार्यवाही की जाती, जो किया जाना न तो रेकर्ड पर आया है एवं न ही अपीलाण्ट द्वारा इस बिन्दु पर किसी प्रकार का जिक्र किया है। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में जैर अपील विवादित भूमि गै0मु0 नदी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

की भूमि है। जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में आवंटन/नियमन से प्रतिबन्धित है तथा प्रतिबन्धित श्रेणी में शुमार होने से खातेदारी अधिकार भी प्रदान नही किये जा सकते है। इसके साथ ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1539/2003 में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 से भी पूर्णतः प्रभावित है। इसके अतिरिक्त नदी की भूमि कॉमन लैण्ड में भी शुमार है, जिसके बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 3109/2011 जगपालसिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में दिनांक 28.01.2011 को निर्णय पारित करते हुए कॉमन लैण्ड में अनाधिकृत कब्जे को खाली कराने के निर्देश दिये गये है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा प्रकरण संख्या 52/2015 में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.01.2016 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 15-11-2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पाली